

# न्यायालय उपजिला कलेक्टर कनवास जिला कोटा

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस संख्या - 2014/317

1. रामस्वरूप आत्मज बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास कायम मुकाम  
1/1 विमला पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल  
1/2 नवल कुमार पुत्र स्व रामस्वरूप जाति मेघवाल  
1/3 रीना मेघवाल पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सावनभादो तहसील कनवास

-वादी-

बनाम

- 1 रामकन्या बाई पत्नि पन्नालाल जाति मेघवाल पन्नालाल आत्मज रामा जाति मेघवाल कायम मुकाम  
2/1 हंसराज पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/2 राजेन्द्र आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/3 मोरध्वज आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/4 लाडबाई पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/5 दुर्गालाल आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल कायम मुकाम  
2/5/1 गिराज पत्नी दुर्गालाल जाति मेघवाल  
2/5/2 सुनिल पुत्र दुर्गालाल जाति मेघवाल  
2/5/3 सावित्री पुत्री दुर्गालाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सावनभादो तहसील कनवास।

- प्रतिवादी-

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री अश्विनी कुमार मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री गिरजा नन्दन गौतम एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

-:: निर्णय ::-

दिनांक :-

वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 54 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सावनभादो तहसील कनवास में खसरा न 1031 की 15 बिस्वा आराजी स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी न 2 4 के सयुक्त रूप से खाते में दर्ज है।

वाद पत्र की मद न 1 में वर्णित आराजी में से प्रतिवादी न 3 मोडू लाल ने अपना आधा हिस्सा बिल एवज 6200 रुपये में दिनांक 21.06.97 को वादी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस प्रकार नाथीबाई द्वारा अपना आधा

उपरखण्ड अधिकारी कनवास  
जिला कोटा

हिस्सा प्रतिवादी कम 1 रामकन्या बाई को बिल एंज 5000 रुपये जये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है जिस पर वह काबिज है इस आशय का वाद सम्मानिय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ इसी दौरान वादी रामस्वरूप द्वारा एक वाद कम 814 /98 प्रस्तुत किया गया जिसमें भी उपरोक्त वर्णित खसरा न की 15 बिस्वा आराजी में से 1/2 हिस्सा को वादी के पृथक से खाते बाधे जाने एवं पृथक से राज लगान अंकन कर विभजन की डिक्री पारित करने का निवेदन किया उक्त प्रकरण संख्या 814/98 में शामिल किया गया

वाद दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी गण द्वारा दिनांक 11.01.2001 को प्रकरण संख्या 814/98 में जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि 1/2 जो इस समय वादी के खाते दर्ज है उसका राजस्व रेकार्ड में नाम खारिज किया जाकर हम प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री फरमावे। तथा वादी को पाबंद किया जावे कि वह प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे दौराने दावा वादी रामस्वरूप की मृत्यु होने पर दिनांक 04.12.2019 को 20.06.2019 को रामस्वरूप के कायम मुकाम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको स्वीकार किया इस दौरान दुर्गालाल पुत्र पन्नालाल की मृत्यु हो जाने से उसका कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2019 को प्रस्तुत हुआ जिसको रिकार्ड में लिया जाकर कायम मुकाम स्वीकार किए गये इसी दौरान वाद रामस्वरूप के कायम मुकाम विमला पत्नि रामस्वरूप नवल कुमार पुत्र रीना मेघवाल पुत्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासीगण सावनभादौ वादीगण बनाम रामकन्याबाई पत्नि पन्नालाल, हंसराज, राजेन्द्र , मोरध्वज पुत्र पन्नालाल लाडबाई पुत्री पन्नालाल तथा दुर्गालाल आत्मज पन्नालाल के कायम मुकाम गिर्राज पत्नि दुर्गालाल, सुनील पुत्र दुर्गालाल सावित्री पुत्री दुर्गालाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 08.02.2023 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वर्गीय रामस्वरूप वादी तथा प्रतिवादी कम 1 रामकन्या बाई के सयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सावनभादो के खसरा न 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न 1981 की 0.12 है0 जिसमें वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या नई 408 में रामकन्या बाई पत्नि पन्नालाल एवं रामस्वरूप पुत्री बिरधीलाल का नाम 1/2 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें स्वर्गीय रामस्वरूप वादी के कायम मुकाम तथा प्रतिवादी कम 1 रामकन्याबाई तथा स्वर्गीय पन्नालाल के कायम मुकाम के मध्य राजीनामा होने से गत खसरा न 1031 की जिसके वर्तमान खसरा न 1981 मे 0.12 है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में से नाम खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित खसरा न 1981 की 0.12 है सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे जिसके लिए मुताबिक राजीनामा रामस्वरूप के कायम मुकाम सहमत है प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम तथा वादी रामस्वरूप के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.02.2023 के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि खसरा न0 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न 1981 की 0.12 है0 भूमि में वादी रामस्वरूप का 1/2 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में से नाम खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित वर्तमान खसरा न0 1981 माल ग्राम सावनभादौ की 0.12 है0 भूमि सम्पूर्ण का खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा अनुसार निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी कन्नदात  
जिला कोद

### आदेश

अस्त. वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि स्वर्गीय रामस्वरूप वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 रामकन्या बाई के सयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सावनभादो के खसरा न 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न 1981 की 0.12 है0 जिसमें वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या नई 408 में रामकन्या बाई पत्नि पन्नालाल एवं रामस्वरूप पुत्र बिस्धीलाल का नाम 1/2 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें स्वर्गीय रामस्वरूप वादी के कायम मुकाम तथा प्रतिवादी क्रम 1 रामकन्याबाई तथा स्वर्गीय पन्नालाल के कायम मुकाम के मध्य राजीनामा होने से माल ग्राम सावनभादो के गत खसरा न 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न0 1981 की 0.12 है0 भूमि में वादी स्व0 रामस्वरूप का 1/2 हिस्से के राजस्व रेकार्ड में से नाम खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण रामकन्याबाई पत्नि पन्नालाल, हंसराज, राजेन्द्र , मोरध्वज पुत्र पन्नालाल, लाडबाई पुत्री पन्नालाल तथा दुर्गालाल आत्मज पन्नालाल के कायम मुकाम गिराज पत्नि दुर्गालाल, सुनील पुत्र दुर्गालाल, सावित्री पुत्री दुर्गालाल को खसरा न0 1981 की 0.12 है0 सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)  
 उपखण्ड अधिकारी कनवास  
 जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत  
न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

जीसीएमएस संख्या - 2014/317

- 1 रामस्वरूप आत्मज बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास कायम मुकाम  
1/1 विमला पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल  
1/2 नवल कुमार पुत्र स्व रामस्वरूप जाति मेघवाल  
1/3 रीना मेघवाल पुत्री स्व० रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सावनभादो तहसील कनवास

-वादी-

बनाम

- 1 रामकन्या बाई पत्नि पन्नालाल जाति मेघवाल पन्नालाल आत्मज रामा जाति मेघवाल कायम मुकाम  
2/1 हंसराज पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/2 राजेन्द्र आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/3 मोरध्वज आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/4 लाडबाई पुत्री पन्नालाल जाति मेघवाल  
2/5 दुर्गालाल आत्मज पन्नालाल जाति मेघवाल कायम मुकाम  
2/5/1 गिरर्ज पत्नी दुर्गालाल जाति मेघवाल  
2/5/2 सुनिल पुत्र दुर्गालाल जाति मेघवाल  
2/5/3 सावित्री पुत्री दुर्गालाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सावनभादो तहसील कनवास।

- प्रतिवादी-

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री अश्विनी कुमार मालव एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- श्री गिरजा नन्दन गौतम एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 2014/317 सन 2014 तारीख फैसला 11.02.2022 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी श्री आश्विनी कुमार मालव वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण की ओर से श्री गिरजानन्दन गौतम एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि स्वर्गीय रामस्वरूप वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 रामकन्या बाई के सयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सावनभादो के खसरा न 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न 1981 की 0.12 है० जिसमें वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या नई 408 में रामकन्या बाई पत्नि पन्नालाल एवं रामस्वरूप पुत्र बिरधीलाल का नाम 1/2 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें स्वर्गीय रामस्वरूप वादी के कायम मुकाम तथा प्रतिवादी क्रम 1 रामकन्याबाई तथा स्वर्गीय पन्नालाल के कायम मुकाम के मध्य राजीनामा होने से माल ग्राम सावनभादो के गत खसरा न० 1031 की 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न०

उपखण्ड अधिकारी कनवास  
R.A.S. 2022

1981 की 0.12 है० भूमि में वादी स्व० रामस्वरूप का 1/2 हिस्से के राजस्व रेकार्ड में से नाम खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण रामकन्याबाई पत्नि पन्नालाल, हंसराज, राजेन्द्र, मोरध्वज पुत्र पन्नालाल, लाडबाई पुत्री पन्नालाल तथा दुर्गालाल आत्मज पन्नालाल के कायम मुकाम गिर्राज पत्नि दुर्गालाल, सुनील पुत्र दुर्गालाल, सावित्री पुत्री दुर्गालाल को खसरा न० 1981 की 0.12 है० सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिंग ... X ...बाबत ... X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ...को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2023 माह फरवरी को जारी की गई।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी कनवास  
जिला मजिस्ट्रेट

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----		स्टाम्प वकालतनामा	----	
स्टाम्प वकालतनामा	----		स्टाम्प अर्जी	----	
स्टाम्प वजह सबूत	----		महनताना वकील	----	
महनताना वकील	----		खर्चा गवाहान	----	
खर्चा गवाहान	----		फीस कमिश्नर	----	
फीस कमिश्नर	----		बाबत इजराय हुकमनामा	----	
बाबत इजराय हुकमनामा	----		मुतफर्रिक	----	
मुतफर्रिक	----		मीजान	----	
मीजान	----				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कनवास  
जिला मजिस्ट्रेट